न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—105/2006 राजस्व वाद
श्री मांगीलाल पिता गोकल नायक, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

श्री कन्हैयालाल पिता रूपा सुथार, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वगैराह ———प्रतिवादीगण

---

वादपत्र घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 जा0दी0

---

उपस्थितः—

1—श्री मांगीलाल सैन — एडवोकेट—वादी
2—श्री अमित कोठारी — एडवोकेट—प्रतिवादी सं.1

:: नि र्ण य :: दिनांकः—9.8.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ने यह वाद विवादित आराजी संख या 4091 रकबा 10 बिस्वा, 4480/4089 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा की डिक्री से जरिये इंतकाल संख्या 1044 दिनांक 28.2.1983 को प्राप्त हुई। विवादित आराजियात के बाबत जब न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्व में ही डिक्री पारित की जा चुकी है तो फिर उसी विवादित आराजियात के बाबत वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत करना पोषणीय न हो काबिल निरस्तीगी के हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र के अन्तर्गत जगन्नाथ दर्ज द्वारा भैरूलाल पिता भूरालाल के नाम दर्ज होना तथा उनके द्वारा कन्हैयालाल खाती को रजिस्ट्री कराना का वर्णन किया है अर्थात वादी ने अपने वाद पत्र के अन्तर्गत विवादित आराजियात के विक्रय पत्रों को निरस्त कराने बाबत ही वादी का वाद है जिसकी श्रवणाधिकारिता न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को हैं। इस आधार पर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बार्ड बाई लॉ होने से खारीज होने योग्य हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र की पैरा संख्या 2 के अन्तर्गत जगन्नाथ दर्ज एवं भूरालाल का नाम वर्णन किया है किन्तु उक्त पक्षकारों को वादी ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार हैं। इस आधार पर वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य न हो काबिल निरस्तगी के है। वादीगण ने अपने सम्पूर्ण वाद के अन्तर्गत विवादित आराजियात जिस प्रकार प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई एवं किस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्व वाद को वाद हेतु उत्पन्न हुआ हैं का कोई वर्णन

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नहीं किया है। इस प्रकार वादी का वाद वाद हेतुक के अभाव में पोषणीय न हो काबिल निरस्तगी के हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी की नकल सम्वत् 2036 से 2039 की फोटो प्रति, प्रकरण संख्या 969/1983 के संबंधित दस्तावेज मय डिकी की प्रति प्रस्तुत किये। वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

जबकि वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत होकर अस्वीकार होने के कारण प्रार्थना पत्र. खारीज फरमाया जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर गोपी, ब्रदी पिता जोधा 1/2, गोकल पिता पोखर नायक साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जरिये इंतकाल नम्बर 1044 दिनांक 28.2.1983 के द्वारा आराजी नम्बर 4091 रकबा 10 बिस्वा एवं 4480/4089 रकबा 14 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल पिता रूपा सुथार के नाम परिवर्तन की स्वीकृति हुई । जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2036 से 2039 की फोटो प्रति, इंतकाल नम्बर 1044 की फोटो प्रति, से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट जाहिर होता है कि विवादित आराजियात वादी अपने नाम दर्ज कराने बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत किया। वादी विवादित आराजियात अपने नाम दर्ज कराना चाहता हैं। क्योंकि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 श्री कन्हैयालाल पिता रूपा खाती (सुथार) साकिन देह के दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2045 से 2048, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2061 से 2064 ई0एक्स0 पी–1, से होती है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विवादित आराजियात माननीय राजस्व न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा डिक्री पारित करते हुये कन्हैयालाल के नाम दर्ज की गयी। जबकि वादीगण की दादरसी भी विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के नाम से अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने की हैं। क्योंकि वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं, न ही कोई विधिवत् जवाब ही प्रस्तुत किया। धारा 11 जा0दी0 में प्रावधान है कि किसी भी न्यायालय द्वारा एक बार विवादित बिन्दु के संबंधित निर्णय पारित कर दिया जाता है तथा पुनः उन्हीं विवादित बिन्दु को लेकर कोई भी पक्षकार जो पूर्व वाद में पक्षकार था, वह वाद पत्र प्रस्तुत करता है तो वह वाद पत्र रेज्यूकेटा के सिद्वान्त के आधार पर वाद पत्र पोषणीय नहीं हैं। इस आधार पर भी वादी किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 9.8.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner